फैक्स/ई-मेल

संख्या:– 1258/9–50/2016,

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व परिषद अनुभाग–9, दिनांक 19 सितम्बर, 2017

विषयः मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ में विचाराधीन अवमानना याचिका संख्या–1109 (सी)/2016 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राजस्व ग्रामों के सीमा–स्तम्भों की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरिवर्णित वाद में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15–09–2017 के समादर में निर्गत शासन के आदेश सख्या–1624/एक–9–2017–रा–9 दिनांक 15–09–2017 के कम में प्रदेश के सभी ग्रामों मे सीमा स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत, पुनर्स्थापना, स्थापना करने के कार्यक्रम को निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

(क) प्रथम चरण मे सीमा स्तम्भों की कोडिंग का कार्य 31 अक्टूबर, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।
(ख) द्वितीय चरण में सीमा स्तम्भों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्व निर्धारित अवधि जनवरी, 2018 के स्थान पर 30 नवम्बर, 2017 तक पूर्ण कर लिया जाय।
(ग) तृतीय चरण में भौतिक सत्यापन के उपरान्त क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना का कार्य पूर्व निर्धारित अवधि जून, 2018 के स्थान पर 31 मई, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय।
(घ) चतुर्थ चरण मे गायब सीमा स्तम्भों की पुनर्स्थापना का कार्य 30 नवम्बर, 2018 तक पूर्ण कर लिया जाय।

परिषद के आदेश संख्या 759/9–19/2017 दिनांक 07 जून, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारणी के अनुसार ग्राम सीमा स्तम्भों की कोडिंग, भौतिक सत्यापन, मरम्मत, पुनर्स्थापना, स्थापना का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांकः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के आदेश संख्या–1624/एक–9–2017–रा–9 दिनांक 15–09–2017 के कम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राजस्व विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों के माहवार माइलस्टोन निर्धारण सम्बन्धी समय–सारिणी को उपरोक्तानुसार संशोधित कराने का कष्ट करें।

2– प्रमुख सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को राजस्व विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों के माहवार माइलस्टोन निर्धारण सम्बन्धी समय–सारिणी को उपरोक्तानुसार संशोधित कराने हेतु।

3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ।

4– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

19/9/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त
कृते आयुक्त एवं सचिव